गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से जुटाई गई पूंजी पर लगने वाला एंजल टैक्स 2012 में यूपीए-2 के दौरान लगाया गया था

मशीनरी व उपकरण खरीद के लिए एमएसएमई को बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज

# एंजल टैक्स खत्म होने से बढ़ेंगे स्टार्टअप एमएसएमई के लिए सरकार की ऋण गारंटी

विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने स्टार्टअप व उद्योगों को मजबूती देने के लिए अहम घोषणाएं की हैं। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स मनमोहन सिंह सरकार 2012 में लाई थी। तब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसके अनुसार, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता था। यह टैक्स उस प्रीमियम पर लगता था जो निवेशक शेयरों के वास्तविक मूल्य से ज्यादा चुकाते थे। स्टार्टअप्स और निवेशकों लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यह इनोवेशन और फंडिंग में बाधा डालता है। एंजल टैक्स खत्म कर सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है।

वहीं, जीडीपी में 27% हिस्सेदारी की वाले एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्त पोषण, नियामकीय बदलावों और प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ बजट में आठ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन उद्योगों को 100 करोड़ की ऋण गारंटी दी गई है। इसके तहत मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए कुछ भी गिरवी रखे बिना व तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना एमएसएमई ऋण ले पाएंगे। इन ऋणों के जोखिम को पूलिंग के आधार पर कवर किया जाएगा। इसके लिए स्ववित्त पोषित गारंटी निधि बनाई जाएगी। उधर, सरकार अब एमएसएमई के लिए ऋण सुविधा को सुलभ बनाने पर जोर देगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई के लिए दिए जाने वाले ऋण के लिए अपने आकलन प्रणाली में बदलाव करने होंगे। सभी सार्वजनिक बैंक इसके लिए अपने स्वतंत्र इन-हाउस तंत्र विकसित करेंगे। इसके लिए वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर ऋण आकलन मॉडल विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।

## नई शुरुआत...लघु उद्योगों के जरिये अब खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता को मिलेगा बढ़ावा

खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता को एमएसएमई के दायरे में रखकर इस क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इंरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का एलान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण और शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। देशभर में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने में इनका अहम योगदान होगा।

### संकट के दौरान ऋण सहायता

- संकट की स्थिति में एमएसएमई को बैंक ऋण जारी रखने की एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके तहत नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते जब किसी एमएसएमई के ऋण को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) घोषित किया जाएगा, तो कारोबार जारी रखने और ऋण को एनपीए में जाने से बचाने के लिए भी नए ऋण की व्यवस्था की जाएगी।
- व्यापार प्राप्तियों को नगद में बदलकर कार्यशील पूंजी बढ़ाने की सहूलियत देने के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए टर्नओवर की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया है। इस बदलाव से 22 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और 7 हजार अन्य कंपनियां इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगी।

### मुद्रा योजना में अब दोगुना ऋण

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना (पीएमएमवाई) के तहत तरुण श्रेणी में ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। बढ़ी हुई सीमा के साथ वे उद्यमी इस ऋण सुविधा का लाभ ले पाएंगे, जिन्होंने तरुण श्रेणी में पहले लिए गए ऋण को चुका दिया है।

- छोटे कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत पहुंचाने वाला कदम है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों व छोटे व्यापारियों को अपने विस्तार और कारोबार को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

**46,92,03,987**
ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं मुद्रा योजना के तहत मार्च 2024 तक

**4,56,537.9**
करोड़ रुपये अब तक जा चुका है मुद्रा ऋण

**24**
शाखाएं खोलेगा सिडबी एमएसएमई को ऋण देने के लिए इस साल। 242 में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा विस्तार

## उद्योगों के लिए ऊर्जा...उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए होगा रोडमैप

उद्योगों के लिए ऊर्जा दक्षता व उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए भी एक रोडमैप किए जाने का एलान किया है। इसके तहत उद्योगों को मौजूदा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार मोड से भारतीय कार्बन बाजार मोड में स्थानांतरित करने के लिए उचित नियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा पीतल और सिरेमिक सहित 60 पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टरों में निवेश के लिए ऊर्जा ऑडिट किया जाएगा। इन्हें ऊर्जा के स्वच्छ रूपों में स्थानांतरित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।

**ऊर्जा ऑडिट**

## सेमीकंडक्टर के लिए बजट में 355% बढ़ोतरी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 2024-25 के बजटीय आवंटन में 52 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजटीय प्रावधानों के साथ मंत्रालय का कुल बजट 21,936.9 करोड़ रुपये हो गया। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम के तहत 2023-24 के 1,503.36 करोड़ रुपये की तुलना में 355 फीसदी की भारी वृद्धि के साथ यह बजटीय आवंटन अब 6,903 करोड़ रुपये हो गया है।

**तकनीक**

## 100 औद्योगिक पार्क बनेंगे

### प्लग एंड प्ले मोड पर मिलेंगी सुविधाएं...विनिर्माण को बढ़ावा

देश के विकास और रोजगार सृजन में अहम योगदान देने वाले विनिर्माण(मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100 शहरों में प्लग एंड प्ले पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले सुविधा वाले पार्क में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी तमाम सुविधाएं जैसे कि भवन, बिजली, पानी, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल को बाजार तक या पोर्ट तक ले जाने की सुविधा पहले से मौजूद होती है। उद्यमी को वहां सिर्फ मशीन लगाकर उत्पादन शुरू करना होता है। चीन व अन्य देशों में वर्षों से प्लग एंड प्ले मॉडल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कारोबार बड़ा होने पर कारोबारी दूसरी जगह बड़े स्तर पर यूनिट लगा सकते हैं। भारत में भी लंबे समय से ऐसे पार्कों की मांग हो रही थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क भी शुरू किए जाएंगे। इनके विकास में राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी रहेगी। हालांकि, यह पार्क कहां बनेंगे इस पर कोई घोषणा अभी नहीं की गई है।

### रोजगार के नए अवसर

विशेषज्ञों की मानें तो इस योजना के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे क्षेत्र में देश-विदेश के निवेशक रुचि लेंगे और निवेश को गति मिलेगी। हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्षेत्रीय व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लोगों की आय बढ़ेगी। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

### व्यापार सुविधा की दिशा में कदम

- घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव।
- वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव।

## दिवालिया संहिता में अब होगी और पारदर्शिता

दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में सरकार फिर बदलाव करने जा रही है। आईबीसी के तहत बेहतर ईको सिस्टम बनाने के लिए सरकार अब एक इंटीग्रेटेट टेक्नोलॉजी मंच तैयार करेगी। वहीं, एलएलपी के स्वैच्छिक डिसक्लोजर के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके। इसके साथ ही टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है।

### विवाद से विश्वास-2.0 से घटेगी मुकदमेबाजी

- आयकर मामलों में विवादों को कम करने के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना-2.0 लाने का प्रस्ताव किया गया है।। आकलन वर्ष समाप्त होने के बाद तीन साल से लेकर पांच साल तक की अवधि वाले आयकर मामलों को फिर खोला जा सकेगा। लेकिन, शर्त है कि मामला 50 लाख रुपये या उससे अधिक का हो। तलाशी मामलों में भी तलाशी वर्ष से पहले छह साल की समयसीमा का प्रस्ताव किया गया है, जबकि वर्तमान में यह 10 साल की समयसीमा है।